


25.08.2022

पत्रावली लोक अदालत की बैच संख्या एक से प्राप्त होकर आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। मूल प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की बैच संख्या एक के समक्ष लिखित में राजीनामा पेश किया, जिसके आधार पर मूल प्रकरण निर्णित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
(डॉ. भैवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरौही

